

2022/472

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मुलचन्द

बनाम

विश्वनाथ

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

316/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/6/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती ~~विश्वनाथ~~ मुलचन्द

पिता श्री मोहन जी शर्मा

निवासी- ~~नेतावलगढपाहली~~ हाल गोपालनगर तहसीले व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

~~नेतावलगढपाहली~~ स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1032/60

1033/61, 69 मी.
0.3400 0.2200

कुल कीता 3 कुल रकबा 0.7000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ~~नेतावलगढपाहली~~ स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1032/60, 1033/61, 69 मी.

कुल कीता 3 रकबा 0.7000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/- रुपये अक्षरे ~~पत्र~~ प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(सहयुक्त मुन्दर किन्नेई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)